राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.139( )परावि/विधि/नियम/मार्गदर्शन/2012/23 जयपुर,दिनांक 10.01.2013

:::: आज्ञा ::::

राजस्थान पंचायती राज नियम,1996 के नियम 157 पुराने गृहों का विनियमितीकरण के उप–नियम(1) के अनुसार जहॉ व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों, उन्हें इन्ही नियमों के कतिपय प्रावधानो के तहत पट्टा जारी किया जाता है । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पुराने गृह की परिधि में परिसर में स्थित उपयोग में आने वाली भूमि भी सम्मिलित होती है ।

अतः **प्रशासन– गांवों के संग अभियान वर्ष 2013** की अवधि के दौरान ऐसे समस्त प्रकरणों में पट्टा जारी करने वाली पंचायत द्वारा संबंधित व्यक्ति को उसके कब्जे वाली आबादी भूमि, जिसमें निर्मित भवन/मकान (कच्चा/पक्का) सम्मिलित हो अधिकतम 300 वर्गगज तक निर्मित भवन/मकान के क्षेत्रफल तथा इस निर्मित एरिया के 25 प्रतिशत तक की उसके उपयोग में आने वाली कब्जाशुदा भूमि को सम्मिलित कर, इनमें से जो भी कम हो का पट्टा नियम 146 के प्रावधानानुसार स्थल निरीक्षण करवाये जाने के पश्चात् एवं नियम 148 व 149 के अनुसार नोटिस जारी कर प्राप्त आक्षेपों का निपटारा करने के पश्चात् जारी किया जावे ।

उप शासन सचिव (विधि)

प्रतिलिपिः–

1.निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0,जयपुर ।
2.निजी सचिव,शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3.निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
4.ज़िला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
5.समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज/ग्रामीण विकास विभाग, मुख्यालय ।
6.मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, समस्त राजस्थान ।
7.विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान ।
8.रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव(विधि)